रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 536] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 6, 1984/कार्तिक 15, 1906
No. 536] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 6, 1984/KARTIKA 15, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

मंत्रिमण्डल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1984

का० आ० 821 (अ) :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) (एक सौ तिरसठवां संशोधन) नियम, 1984 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में—

(क) प्रथम अनुसूची में,—

(i) शीर्षक "13. उद्योग मंत्रालय" और उसके अंतर्गत उप-शीर्षकों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक और उप-शीर्षक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"13. उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय :

(i) औद्योगिक विकास विभाग ;

(ii) भारी उद्योग विभाग ;

(iii) कम्पनी कार्य विभाग" ;

(ii) शीर्षक "17. विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय" और उसके अंतर्गत उप-शीर्षकों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक और उपशीर्षक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"17. विधि और न्याय मंत्रालय :

(i) विधि कार्य विभाग

(ii) विधायी विभाग

(iii) न्याय विभाग।";

(ख) द्वितीय अनुसूची में :—

(i) "उद्योग मंत्रालय" से संबंधित प्रविष्टियों में—

(1) विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय" ;

(2) "ख. भारी उद्योग विभाग" उप-शीर्षक और उसके अंतर्गत प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित उप-शीर्षक और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"ग. कम्पनी कार्य विभाग

1. कम्पनी अधिनियम, 1956 का प्रशासन।
2. कम्पनी (राष्ट्रीय निधियों को दान) अधिनियम 1951 का प्रशासन।
3. एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 का प्रशासन।
4. लेखा-वृत्ति (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949), लागत और संकर्म लेखा वृत्ति (लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959), कम्पनी सचिवत्व वृत्ति (कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980)।
5. कम्पनियों से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण।
6. भागीदारी विधि के संबंध में विधान और भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अध्याय 7 के अधीन केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में कतिपय कृत्यों का निर्वहन।

   (अधिनियम का प्रशासन राज्य सरकारों में निहित है)।
7. एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग।
8. उपर्युक्त मदों में से किसी के बारे में केन्द्र-प्रशासित क्षेत्रों से संबंधित मामलों की बाबत केन्द्र का उत्तरदायित्व।"

(ii) "विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय" से संबंधित प्रविष्टियों में—

(1) विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"विधि और न्याय मंत्रालय" ;

(2) "घ. कम्पनी कार्य विभाग" उप-शीर्षक और उसके अन्तर्गत प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

जैल सिंह
राष्ट्रपति

[सं० 74/2/16/84-मंत्री०]

आर० वेंकटनारायणन्, अवर सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 1984

S.O. 821 (E)—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1 (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and Sixty Third Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—

(a) in the First Schedule—

(i) for the heading "13. Ministry of Industry (Udyog Mantralaya)" and the sub-headings thereunder, the following heading and sub-headings shall be substituted namely :—

"13. Ministry of Industry and Company Affairs (Udyog aur Kampani Karya Mantralaya) :

(i) Department of Industrial Development (Audyogik Vikas Vibhag).

(ii) Department of Heavy Industry (Bhari Udyog Vibhag).

(iii) Department of Company Affairs (Kampani Karya Vibhag).";

(ii) for the heading "17. Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Vidhi, Nyaya aur Kampani Karya Mantralaya)", and the sub-headings thereunder, the following heading and sub-headings shall be substituted, namely :—

"17. Ministry of Law and Justice (Vidhi aur Nyaya Mantralaya) :

(i) Department of Legal Affairs (Vidhi Karya Vibhag).

(ii) Legislative Department (Vidhayee Vibhag).

(iii) Department of Justice (Nyaya Vibhag).";

(b) in the Second Schedule—

(i) in the entries relating to "MINISTRY OF INDUSTRY (UDYOG MANTRALAYA)"—

(1) for the existing heading, the following heading shall be substituted, namely :—

"MINISTRY OF INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS (UDYOG AUR KAMPANI KARYA MANTRALAYA)";

(2) after the sub-heading "B. DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY (BHARI UDYOG VIBHAG)" and the entries thereunder, the following sub-heading and entries shall be inserted, namely :—

"C. DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS (KAMPANI KARYA VIBHAG)

1. Administration of the Companies Act, 1956.

2. Administration of the Companies (Donations to National Funds) Act, 1951.

3. Administration of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969.

4. Profession of Accountancy (Chartered Accountants Act, 1949); Profession of Costs and Works Accountancy (Cost and Works Accountants Act, 1959); Profession of Company Secretaries (Company Secretaries Act, 1980).

5. Collection of Statistics relating to Companies.

6. Legislation relating to Law of Partnership, and the exercise of certain functions under Chapter VII of the Indian Partnership Act, 1932 in centrally administered areas. (The administration of the Act vests in the State Governments).

7. Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission.

8. The responsibility of the Centre relating to matters concerning centrally administered areas in respect of any of the above items.";

(ii) in the entries relating to "MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (VIDHI, NYAYA AUR KAMPANI KARYA MANTRALAYA)"—

(1) for the existing heading, the following heading shall be substituted, namely :—

"MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (VIDHI AUR NYAYA MANTRALAYA)".;

(2) the sub-heading "D. DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS (KAMPANI KARYA VIBHAG)" and the entries thereunder shall be omitted.

ZAIL SINGH
PRESIDENT

[No. 74/2/16/84-Cab.]

R. VENKATANARAYANAN,
Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984